न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 81/2015 राजस्व अपील

1. भगवान सहाय पुत्र कल्याण सहाय जाति ब्राहमण निवासी मीतरवाडी तहसील बसवा जिला दौसा — अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बांदीकुई जिला दौसा — रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 17.07.2015 न्यायालय उप तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा प्रकरण सं. 06/2015, सरकार बनाम भगवानसहाय अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व कानून

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री अमरसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :– दिनांकः 13.12.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मीतरवाडी तहसील बसवा में ख.न. 272 गैर मुमकिन आबादी में है जो ग्राम पंचायत देलाडी के क्षेत्राधिकार में है और पंचायत में निहित है। जो आबादी के उपयोग में आ रही है। उक्त आबादी भूमि में से पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक चार एयर भूमि प्रार्थी के बुजुर्गान के कब्जे से चली आ रही है। हल्का पटवारी ने अपीलान्ट के विरूद्ध गलत तरीके से विधि विपरित यह जानकारी होते हुए कि भूमि आबादी की है और रिपोर्ट में आबादी स्वीकार कर रहा हैं के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बांदीकुई के यहां कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने की सजा से दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने ख.न. 271 में पानी की खेल होना बताया है जो सार्वजनिक पशुओं के लिए पानी पीने के लिए बनाई है जो रास्ते में नही है, रास्ते के किनारे पर है। जिस पर पानी भरने की व्यवस्था अपीलान्ट करता है। ख.न. 272

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

आबादी भूमि है जो ग्राम पंचायत देलाडी में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय को आबादी भूमि में स्थानीय निकाय पंचायत द्वारा आवेदन करने पर ही कार्यवाही करने का अधिकार है। अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूंठी व बेबुनियाद रिपोर्ट को सही मानकर अपीलान्ट को प्रश्नगत आराजी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 17.07.2015 को निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा संवत 2071 में ग्राम मीतरवाडी तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नं0 271 रकबा 0.01 है0, किस्म गैर मु. रास्ता ख.न. 272 रकबा 0.04 किस्म गैर मु. आबादी पर पानी की खेल का निर्माण व कब्जा कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 17.07.2015 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में पानी की खेल का निर्माण एवं कब्जा करना, जबकी अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2015 में कब्जा काश्त कर अतिचार किया जाना अंकित गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित तथ्यो में भिन्नता होने के कारण से प्रकरण उप तहसीलदार बांदीकुई को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बांदीकुई के निर्णय दिनांक 17.07.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ उप तहसीलदार बांदीकुई को रिमाण्ड किया जाता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.07.2015 का अवलोकन कर अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कर नियमों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण की विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा